



2026:AHC-LKO:41082-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 5733/2026

राम सहाय सिंह और अन्य

.... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से

और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता	: संजय कुमार सिंह
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता, धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी, विकास पांडे

न्यायालय सं. - 2

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. इस याचिका में उत्प्रेषण प्रकृति की रिट जारी करने की मांग की गई है, ताकि दिनांक 02.06.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, वाद अपराध संख्या 0196/2026, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 308(2)/352/351(3) के अंतर्गत, पुलिस स्टेशन जयसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर, को अभिखण्डित किया जा सके।
2. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुन ॥ और विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री को देखा है। याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों का लाभ पाने के हकदार हैं , जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के समान हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि कथित अपराधों के लिए सात वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 जिसमें धारा 35(3) से 35(6) तक शामिल हैं के अंतर्गत बताए गए ढंग और प्रक्रिया का पालन करेगी। ऐसी स्थिति में, जांच अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

4. यह बताना उचित होगा कि इसी तरह के प्रावधान, अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-ए को ध्यान में रखते हुए, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 एससीसी 273** वाद में निम्नलिखित टिप्पणी की थी।

5. हमने राज्य के विद्वान अधिवक्ता का पक्ष सुना है। **अर्नेश कुमार (उपर्युक्त)** में निम्नलिखित (प्रासंगिक भाग) कहा गया है:-

"9. एक और प्रावधान, अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए, जिसका उद्देश्य आरोपी की अनावश्यक गिरफ्तारी या गिरफ्तारी के डर को रोकना है, उसे प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम 5) की धारा 6 के अंतर्गत जोड़ी गई धारा 41ए, जो इस वाद में प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

"41ए. पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने की सूचना -

(1) जिन मामलों में धारा 41 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यकता नहीं है, वहां पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिसके विरुद्ध कोई उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी मिली है, या जिस पर कोई संज्ञेय अपराध करने का उचित संदेह है। इस नोटिस में उसे पुलिस अधिकारी के सामने या नोटिस में बताई गई किसी अन्य स्थान पर पेश होने का निर्देश दिया जाएगा।

(2) जब किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति की यह दायित्व होगा कि वह नोटिस की शर्तों का पालन करे।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करता है और पालन करता रहता है, तो उसे नोटिस में बताए गए अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लिखित कारणों के आधार पर पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

(4) यदि ऐसा व्यक्ति किसी भी समय नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने से इनकार करता है, तो पुलिस अधिकारी, इस संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन, उसे नोटिस में बताए गए अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है।"

"उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि जिन मामलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, वहां पुलिस अधिकारी को अभियुक्त को एक निर्धारित स्थान और समय पर अपने सामने पेश होने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी करना होता है। विधि ऐसे अभियुक्त को पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने के लिए बाध्य करता है और यह भी अनिवार्य करता है कि यदि ऐसा अभियुक्त नोटिस की शर्तों का पालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि लिखित कारणों के आधार पर पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि गिरफ्तारी आवश्यक है। इस स्तर पर भी, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा और मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी वैसी ही जांच की जाएगी जैसा कि पहले बताया गया है।"

6. उपरोक्त बातों और याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के बयान को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कहा गया है कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता के रुख को देखते हुए याचिका का निस्तारण किया जा सकता है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अर्नेश कुमार (उपर्युक्त)** वाद जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है और जिसका संबंधित भाग ऊपर दिया गया है, में दिए गए निर्णय में की गई टिप्पणी को देखते हुए, इस याचिका का **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि पुलिस अधिकारी इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से कार्रवाई करें। इस धारा में गिरफ्तारी के लिए विधि, ढंग और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 41-ए के प्रावधानों के समान हैं, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अर्नेश कुमार (उपर्युक्त)** वाद में समझाया था।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

15 जून, 2026

केकेवी/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।